**शीर्ष प्राथमिकता समयबद्ध**

**संख्या-27 /2022/बी-2-269 /दस-2022-आर-2/2016टी.सी**.

प्रेषक,

आलोक दीक्षित,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
   उत्तर प्रदेश शासन।
2. अपर मुख्य सचिव,
   श्री राज्यपाल।
3. प्रमुख सचिव,
   विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
4. प्रमुख सचिव,
   समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 01 नवम्बर, 2022

विषयः वित्तीय वर्ष 2022-2023 के द्वितीय त्रैमास (माह जुलाई, 2022 से सितम्बर, 2022 तक) के प्राप्ति एवं व्यय के आँकड़ों के लेखा मिलान के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ उप महालेखाकार/राजकोष एवं वी.एल.सी. कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के पत्र संख्या-टी.एम.-2/ग्रुप-4/लेखा मिलान/61104 दिनांक 12.10.2022 के क्रम में वित्तीय वर्ष 2022-2023 के आंकड़ों के त्रैमासिक लेखा मिलान की प्रक्रिया के क्रम में माह जुलाई, 2022 से सितम्बर, 2022 तक के लेखांकित प्राप्तियों एवं व्यय के आंकड़ों का विभागीय आंकड़ों से मिलान के लिये दिनांक 14 नवम्बर, 2022 से 16 दिसम्बर, 2022 तक की अवधि निर्धारित की गयी है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने अधीनस्थ विभागाध्यक्षों/नियंत्रक अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें कि वे वित्तीय वर्ष 2022-2023 के द्वितीय त्रैमास (माह जुलाई, 2022 से सितम्बर, 2022 तक) के विभागीय प्राप्तियों एवं भुगतानों का लेखा मिलान कार्य कराये जाने हेतु संलग्न निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार डी.डी.ओ. रिकन्सीलियेशन शीट एवं मासिक व्यय विवरण (बी.एम.-4 एवं बी.एम.-13), महालेखाकार कार्यालय के ई-मेल- agaeuttarpradesh1@cag.gov.in एवं फैक्स नं0-0532-2420880 (राजकोष प्रकोष्ठ) या 0532-2421987 पर प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करायें ।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि महालेखाकार कार्यालय की वेबसाइट agup.nic.in पर उपलब्ध वर्ष 2001-2002 से 2021-2022 की अवधि में स्वीकृत किये गये अनावर्ती सहायता अनुदानों के सापेक्ष लम्बित उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में एवं लम्बित ए.सी. बिल के सापेक्ष डी.सी.बिल का प्रेषण सुनिश्चित करें जिससे नियंत्रक अधिकारियों द्वारा स्वीकृत सहायता अनुदानों एवं ए.सी.बिल का समायोजन भी महालेखाकार कार्यालय में संभव हो सके। नियंत्रण अधिकारियों द्वारा समयानुसार लेखा मिलान पूर्ण नहीं कराने पर उत्तरदायित्व उनका स्वयं का होगा और महालेखाकार द्वारा पुस्तांकित आंकडे अंतिम समझे जायेंगे।

4- लेखा मिलान हेतु यदि किसी विभाग का नाम संलग्न सूची में अंकित होने से रह गया है, तो ऐसे विभाग अपने विभाग का लेखामिलान कार्य दिनांक 16 दिसम्बर, 2022 को पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

आलोक दीक्षित
विशेष सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

**संख्या- 27/2022/बी-2-269(1)/दस-2022-आर-2/2016टी.सी., तददिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. वरिष्ठ उप महालेखाकार/राजकोष एवं वी.एल.सी., कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को पत्र पत्र संख्या-टी.एम.-2/ग्रुप-4/लेखामिलान/61104, दिनांक **12.10.2022** के संदर्भ में।
2. वरिष्ठ उपमहालेखाकार (राजकोष) कार्यालय महालेखाकार,(लेखा व हकदारी)-द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
4. निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. समस्त विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6. समस्त अनुभाग अधिकारी,वित्त विभाग।

आज्ञा से,

आलोक दीक्षित
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-27/2022/बी-2- 269 /दस-2022-आर-2/2016 टी.सी. दिनांक 01 नवम्बर, 2022

**वित्तीय वर्ष 2022-2023 से सम्बन्धित माह जुलाई, 2022 से सितम्बर, 2022 तक के विभागीय प्राप्तियों एवं भुगतानों का महालेखाकार कार्यालय में पुस्तांकित आंकड़ों से तिथिवार मिलान हेतु कार्यक्रम।**

| क्रमांक | विभाग का नाम | मिलान करने की निर्धारित तिथि |
|---|---|---|
| 1 | आबकारी | 14.11.2022 |
| 2 | आवास | |
| 3 | उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन/खानें और खनिज/खादी एवं ग्रामोद्योग/हथकरघा उद्योग/भारी एवं मध्यम उद्योग/मुद्रण तथा लेखन सामग्री) | |
| 4 | आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग | |
| 5 | ऊर्जा | 15.11.2022 |
| 6 | उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण | |
| 7 | रेशम विभाग | |
| 8 | कृषि विभाग | |
| 9 | परती भूमि विकास | 16.11.2022 |
| 10 | समन्वय विभाग | |
| 11 | कृषि विपणन विभाग | |
| 12 | भूमि विकास एवं जल संसाधन | |
| 13 | ग्राम्य विकास विभाग | 17.11.2022 |
| 14 | भूगर्भ जल विभाग | |
| 15 | लघु सिंचाई | |
| 16 | ग्रामीण अभियंत्रण सेवा | |
| 17 | पंचायती राज विभाग | 18.11.2022 |
| 18 | पशुधन | |
| 19 | दुग्ध विकास | |
| 20 | मत्स्य | |
| 21 | सहकारिता | 21.11.2022 |
| 22 | कार्मिक एवं नियुक्ति | |
| 23 | खाद्य एवं रसद | |
| 24 | खेल एवं युवा कल्याण | |
| 25 | गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग | 22.11.2022 |
| 26 | गृह (कारागार) | |
| 27 | गृह (पुलिस) | |
| 28 | नागरिक सुरक्षा | |
| 29 | राजनीतिक पेंशन | |
| 30 | गृह (गोपन) | |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

| | | |
|---|---|---|
| 31 | चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग | 23.11.2022 |
| 32 | परिवार कल्याण विभाग | |
| 33 | चिकित्सा शिक्षा (एलोपैथी) | 24.11.2022 |
| 34 | आयुर्वेदिक एवं यूनानी | |
| 35 | होम्योपैथिक चिकित्सा विभाग | |
| 36 | खाद्य एवं औषधि प्रशासन | |
| 37 | नगर विकास | 25.11.2022 |
| 38 | नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग | |
| 39 | नागरिक उड्डयन | |
| 40 | भाषा | 28.11.2022 |
| 41 | नियोजन | |
| 42 | निर्वाचन | |
| 43 | न्याय | 29.11.2022 |
| 44 | परिवहन | |
| 45 | पर्यावरण | |
| 46 | पर्यटन विभाग | |
| 47 | प्रशासनिक सुधार | 30.11.2022 |
| 48 | प्राविधिक शिक्षा | |
| 49 | अल्पसंख्यक कल्याण | |
| 50 | महिला एवं बाल विकास | 01.12.2022 |
| 51 | राजस्व | |
| 52 | सहायता एवं पुनर्वास | |
| 53 | राष्ट्रीय एकीकरण | 02.12.2022 |
| 54 | लोक निर्माण | |
| 55 | राज्य सम्पत्ति विभाग | |
| 56 | वन | |
| 57 | अपारम्परिक ऊर्जा (नेडा) | 05.12.2022 |
| 58 | विधान परिषद सचिवालय | |
| 59 | विधान सभा सचिवालय | |
| 60 | विधायी एवं संसदीय कार्य | |
| 61 | वित्त विभाग | 06.12.2022 |
| 62 | विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी विभाग | |
| 63 | बेसिक शिक्षा | |
| 64 | माध्यमिक शिक्षा | |
| 65 | उच्च शिक्षा | 07.12.2022 |
| 66 | श्रम | |
| 67 | सचिवालय प्रशासन | |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

| | | |
|---|---|---|
| 68 | कार्यक्रम कार्यान्वयन | 08.12.2022 |
| 69 | विकलांग कल्याण | |
| 70 | पिछड़ा वर्ग कल्याण | |
| 71 | समाज कल्याण | 09.12.2022 |
| 72 | जनजाति कल्याण | |
| 73 | सतर्कता विभाग | |
| 74 | सामान्य प्रशासन | 12.12.2022 |
| 75 | मुख्यमंत्री कार्यालय (प्रोटोकाल) | |
| 76 | सार्वजनिक उद्यम | |
| 77 | सूचना | 13.12.2022 |
| 78 | संस्थागत वित्त | |
| 79 | स्टाम्प एवं पंजीयन | 14.12.2022 |
| 80 | मनोरंजन कर | |
| 81 | सैनिक कल्याण | |
| 82 | व्यापार कर | 15.12.2022 |
| 83 | सांस्कृतिक कार्य | |
| 84 | सिंचाई एवं जल संसाधन | |
| 85 | उक्त सूची के अतिरिक्त कोई विभाग शेष हो अथवा वे विभाग जो निर्धारित तिथि पर लेखामिलान न करा पाये हो | 16.12.2022 |

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।